समक्ष

<u>श्री आई.एस.तिवाना माननीय न्यायमूर्ति</u>

एम.के.पुरी,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड,-प्रतिवादी

1983 की सिविल रिट याचिका संख्या 255

मई 4, 1983

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I-नियम 3.26(ई)-पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड इंजीनियर्स सेवा (इलेक्ट्रिकल) भर्ती विनियम 1955-विनियम 12-द्वितीय श्रेणी की सेवा में स्थानापन्न तृतीय श्रेणी सेवा का सदस्य-क्या बाद की सेवा का सदस्य माना जा सकता है-ऐसे सदस्य-क्या 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जा सकता है-अधिकारी को उसके पद पर बने रहने की अनुमति दी गई है पुष्टिकरण के किसी भी स्पष्ट आदेश के बिना परिवीक्षा की अधिकतम अवधि पूरी करना - चाहे उसके बाद पुष्टि की गई मानी जाए - विनियम 12(1) का प्रावधान परिवीक्षा अवधि की बाहरी सीमा चार साल निर्धारित करता है - क्या निर्देशिक है।

ये निर्धारित किया गया कि, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I के नियम 3% के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रयोजनों के लिए, नियमित या स्थायी आधार पर किसी विशेष सेवा में कर्मचारी की स्थिति पर ध्यान देना होगा। स्थानापन्न व्यक्ति को पद पर कोई अधिकार नहीं होता है और शायद वह एक क्षणभंगुर पक्षी है जिसे उस मूल पद पर वापस जाना पड़ सकता है जहाँ से उसे स्थानापन्न आधार पर पदोन्नत किया गया है। इससे भी अधिक, एक व्यक्ति जिसे नए सिरे से नियुक्त किया गया है, वह स्थानापन्न आधार पर या अस्थायी आधार पर अपनी सेवा शुरू कर सकता है और यह

स्पष्ट है कि उसके पास पद का कोई अधिकार नहीं है और उसे उस सेवा या पद पर नहीं कहा जा सकता है। उस सेवा के सदस्य के रूप में, संक्षेप में, एक स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी वास्तव में क्लास I या क्लास II सेवा से संबंधित नहीं होता है जब तक कि वह उस पर अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है। इसलिए, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि तृतीय श्रेणी सेवा के एक सदस्य को द्वितीय श्रेणी में कार्य करते समय सेवा के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता है और सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से, उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रयोजनों के लिए उसे सेवा का सदस्य नहीं माना जा सकता है। तृतीय श्रेणी सेवा के सदस्य के रूप में माना जाएगा। यह स्पष्ट है कि नियमों के नियम 3.26 के खंड (ई) के अनुसार, द्वितीय श्रेणी सेवा का सदस्य न होने पर, उन्हें 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 4)

ये निर्धारित किया गया कि, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (इलेक्ट्रिकल) रिक्रूटमेंट रेगुलेशन, 1955 के विनियम 12 के उप-विनियम (2) में कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि (मूल या विस्तारित) के पूरा होने पर, बोर्ड ऐसे सदस्य की नियुक्ति की पुष्टि कर सकता है या यदि बोर्ड की राय में उसका कार्य और/या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है या वह लेखा परीक्षा और सुरक्षा कोड परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम नहीं है, तो यदि भर्ती किया जाता है तो उसकी सेवाओं से छूट दे दी जाएगी या उसे उसके पूर्व पद या विभाग में वापस कर दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो, यदि अन्यथा भर्ती किया गया हो, बशर्ते कि बोर्ड किसी भी सदस्य को उक्त परीक्षा में पूर्ण या उसके किसी भाग को उत्तीर्ण करने से छूट दे सकता है। यह उप-नियम यह स्पष्ट करता है कि उप-विनियम (1) के परंतुक द्वारा निर्धारित चार साल की अवधि पूरी होने के बाद भी, किसी कर्मचारी को कुछ स्थितियों में स्थायी नहीं किया जा सकता है, अर्थात, यदि वह लेखा परीक्षा या सुरक्षा कोड परीक्षा आदि उत्तीर्ण होने में विफल रहा है। यह विनियमन स्पष्ट रूप से परंतुक की भाषा की कठोरता को हटा देता ह ै और निर्देशिका बना देता है। विनियम 12 का उप-विनियम (2) सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह चार साल की अपेक्षित परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बावजूद भी किसी सदस्य को क्लास II सेवा में

स्थायी न कर सके, जब तक कि वह लेखा परीक्षा या सुरक्षा कोड परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले। इसके अलावा, उप-विनियमन (1) के खंड (बी) में आगे कहा गया है कि कोई भी सदस्य जो किसी नियुक्ति में स्थानापन्न है, सेवा में एक या दो साल पूरा होने पर स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति होने तक पुष्टिकरण का हकदार नहीं होगा। इस संदर्भ में पढ़ें, चार साल की परिवीक्षा अवधि की बाहरी सीमा निर्धारित करने वाले उप-नियम (1) के परंतुक की भाषा केवल निर्देशिका है और इसे अनिवार्य नहीं कहा जा सकता है यदि किसी भी स्तर पर बोर्ड द्वारा पुष्टिकरण का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है तो

द्वितीय श्रेणी में कार्यवाहक अधिकारी को उस श्रेणी के स्थायी सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि:

(ए) वह सर्टिओरीरी या परमादेश की एक रिट जारी करी जाये जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया जाए। अनुलग्नक पी/8 और पी/9 और इसमें निर्देश दिया जाये कि याचिकाकर्ता अपनी सेवा के सदस्यों के लिए उपलब्ध सभी अधिकारों, लाभों और विशेषाधिकारों का हकदार है।

या

(बी) ऐसे अन्य उचित, रिट, आदेश या निर्देश जो मामले की परिस्थितियों के तहत उचित समझे जा सकते हैं, याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ जारी किए जा सकते हैं।

आगे यह प्रार्थना की गई है कि:

(सी) रिट याचिका के अंतिम निपटान तक अल्पकालिक-अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया जाये, जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संचालन पर रोक लग जाएगी।

(डी) उसे अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने से छूट दी जाये।

(ई) प्रस्ताव की सूचना की सेवा भी इस स्तर पर समाप्त की जाये।

(एफ) याचिकाकर्ता की लागत याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के विरुद्ध दी जाये।

याचिकाकर्ता की ओर से के.पी. भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, रोहित टंडन, अधिवक्ता और रवि कपूर, अधिवक्ता।

हरभगवान सिंह, ए.जी. हरियाणा,प्रतिवादी के वकील अरुण वालिया के साथ।

निर्णय

श्री आई.एस.तिवाना माननीय न्यायमूर्ति (मौखिक) -

(1) तीन याचिकाओं (1983 की सी.डब्ल्यू.पी., संख्या 255, 53 और 124,) के इस सेट को तथ्यों की समानता और उठाए गए तर्कों के आधार पर इस सामान्य निर्णय के माध्यम से निपटाने का प्रस्ताव है।

(2) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के द्वितीय श्रेणी के इंजीनियरों की सेवा में स्थानापन्न आधार पर काम करते हुए सभी याचिकाकर्ताओं को पंजाब सिविल सेवा नियमों (खंड I) के नियम 3.26 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जैसा कि प्रतिवादी-बोर्ड, यानी, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (इसके बाद, नियम कहा जाएगा) द्वारा अपनाया गया) 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि इन याचिकाओं के निर्णय के लिए, केवल पहली याचिका में दिए गए कथनों का संदर्भ ही पर्याप्त होगा।

(3) याचिकाकर्ता एम.के. पुरी 30 दिसंबर, 1982 को यमुनानगर में हाइडल प्रोजेक्ट में सहायक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे, जब उन्हें निम्नलिखित आदेश (अनुलग्नक पी/9) दिया गया: -

“आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड का मानना है कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I, नियम के साथ पढ़े गए नियम 3.26 (डी) के संदर्भ में आपको सेवा से सेवानिवृत्त करना सार्वजनिक हित में है। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के 5.32(सी) - तदनुसार, आपको तत्काल प्रभाव

से बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। एक चेक नंबर 200702, दिनांक 1 जनवरी, 1983

4989.00 रुपये के लिए नोटिस के बदले में तीन महीने के वेतन और भत्ते के लिए संलग्न है।

कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करें.

एसडी/-

सचिव,

एच.एस.ई.बी., चंडीगढ़।"

निर्विवाद रूप से, नियम 3.26 नियमों में निर्दिष्ट आकस्मिकताओं में कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के नियोक्ता के अधिकार से संबंधित है और पंजाब सिविल सेवा नियम खंड II का नियम 5.32 सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी पेंशन पाने का अधिकार देता है। यह आदेश मुख्यतः दो आधारों पर विवादित है: (i) उपरोक्त नियम 3.26 के खंड (ई) के अनुसार, द्वितीय श्रेणी सेवा के केवल स्थायी सदस्य को 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जा सकता है, जबकि तृतीय श्रेणी सेवा के सदस्य को केवल 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है। चूँकि याचिकाकर्ता केवल द्वितीय श्रेणी में स्थानापन्न था और इस प्रकार उसे द्वितीय श्रेणी सेवा का सदस्य नहीं माना जा सकता था, इसलिए उसे 50 वर्ष की आयु में इस नियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था; और (ii) इस नियम के नोट 8 के उप-खंड (ii) का कोई अनुपालन नहीं है। इसके विपरीत, प्रतिवादी-बोर्ड का रुख यह है कि याचिकाकर्ता ने पंजाब राज्य बिजली बोर्ड सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (इलेक्ट्रिकल) भर्ती विनियम, 1955 (संक्षेप में विनियम) के विनियमन 12 के तहत निर्धारित परिवीक्षा अवधि की बाहरी समय-सीमा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उसे द्वितीय श्रेणी में पुष्टिकृत माना जाना चाहिए था और उस खाते पर नियम 3.26 के संदर्भ में 50 वर्ष की आयु में कानूनी रूप से सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकता था। नोट 8 के खंड (ii) की आवश्यकताओं का भी, यदि पूरी तरह से नहीं, तो पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया

है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को काफी देर तक सुनने के बाद मुझे प्रतिवादी-बोर्ड के रुख में कोई योग्यता नहीं दिखती।

(4) अपने तर्क के समर्थन में कि नियमों के नियम 3.26 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रयोजनों के लिए, किसी विशेष सेवा में नियमित या स्थायी आधार पर कर्मचारी की स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए, श्री के.पी. भंडारी, विद्वान वरिष्ठ वकील याचिकाकर्ताओं के लिए, **भारत संघ बनाम के.आर. तहिलानी और अन्य**[1] में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों पर निर्भर करा है। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आया वह यह था कि "क्या श्रेणी I या श्रेणी II सेवा या पद पर कार्य करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नियम 56(जे)(एल) के तहत शक्तियों का प्रयोग करके अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो सकता है?

यहां यह बताना जरूरी है कि मूल नियम का नियम 56(जे)(आई) वर्तमान नियम के लगभग समान शब्द है, यानी, नियमों का नियम 3.26। इस प्रश्न का उत्तर देते समय, उनके आधिपत्य ने कहा कि "चूँकि एक कार्यवाहक हाथ के पास पद का कोई अधिकार नहीं है और शायद वह एक क्षणभंगुर पक्षी है जिसे उस मूल पद पर वापस जाना पड़ सकता है जहाँ से उसे स्थानापन्न आधार पर पदोन्नत किया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति को नए सिरे से नियुक्त किया गया है, वह स्थानापन्न आधार पर या अस्थायी आधार पर अपनी सेवा शुरू कर सकता है और यह स्पष्ट है कि उसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और न ही यह सख्ती से कहा जा सकता है कि वह उस सेवा में है या उस सेवा के सदस्य के रूप में पोस्ट है। संक्षेप में, एक स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी वास्तव में क्लास I या क्लास II सेवा से संबंधित नहीं होता है जब तक कि वह उस पर अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है। ये महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती हैं कि याचिकाकर्ता को द्वितीय श्रेणी में कार्य करते समय सेवा के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता है और सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से, उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रयोजनों के लिए उसे एक तृतीय श्रेणी सेवा (जिसके लिए उन्हें निर्विवाद रूप से पुष्टि की गई थी) का सदस्य के रूप में माना जाना चाहिए। इसके आलोक में, यह स्पष्ट है कि नियमों के नियम

[1] 1980(1) एसएलआर 847

3.26 के खंड (ई) के अनुसार, द्वितीय श्रेणी सेवा का सदस्य न होते हुए भी उन्हें 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है। खंड (ई) का खंड (ii) जो तृतीय श्रेणी सेवा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति से संबंधित है, यह निर्धारित करता है कि इस वर्ग, यानी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जा सकता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि जब आक्षेपित आदेश पारित किया गया, तब तक याचिकाकर्ता मुश्किल से 50 वर्ष की आयु पार कर चुका था और 55 वर्ष से बहुत कम था।

(5) हालाँकि, बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री हरभगवान सिंह ने यह तर्क देना चुना कि विनियमों के विनियमन 12(1) के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय की **पंजाब राज्य बनाम धरम सिंह**[2], में टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ता को तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में प्रारंभिक पदोन्नति की तारीख से चार साल की समाप्ति के साथ द्वितीय श्रेणी सेवा में पुष्टि की गई मानी जाएगी, जो 31 दिसंबर, 1970 को हुई थी। इस नियम के उप-नियमन (1) में कहा गया है कि सेवा में नियुक्त अधिकारी सीधी नियुक्ति से भर्ती होने पर दो साल की अवधि के लिए और अन्यथा नियुक्त होने पर एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। इस उपविनियम के प्रावधान में कहा गया है कि "विस्तार सहित परिवीक्षा की कुल अवधि, यदि कोई हो, किसी भी मामले में चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।" श्री हरभगवान सिंह के अनुसार, चूंकि यह परंतुक कुछ निश्चित अवधि तय करता है जिसके आगे परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता था और याचिकाकर्ता को परिवीक्षा की अधिकतम अवधि पूरी होने के बाद भी बिना किसी पुष्टि आदेश के उस पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। निहितार्थ से परिवीक्षाधीन के रूप में उस पद पर बने रहने के लिए समझा जाएगा। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, वह धर्म सिंह के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य की टिप्पणियों के साथ अपने इस तर्क का समर्थन करना चाहते हैं। हालाँकि, मुझे विद्वान महाधिवक्ता का यह रुख तथ्यात्मक और कानूनी रूप से पूरी तरह से अस्थिर लगता है। सेवानिवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर कार्रवाई करते समय कार्यालय द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन (अनुलग्नक पी-11) में, जिसे निर्विवाद रूप से सचिव द्वारा बोर्ड के समक्ष आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए रखा गया था, बिना

[2] एआईआर 1968 एस.सी. 1210।

किसी अनिश्चित शब्दों के रिकॉर्ड करता है कि "वह (याचिकाकर्ता)) स्थानापन्न हैसियत से ए.ई. का पद संभाल रहा है।" इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विवादित आदेश अनुलग्नक पी-9 के पारित होने के समय बोर्ड के समक्ष जो बात रखी गई थी या उसे बताया गया था वह यह थी कि याचिकाकर्ता एक कार्यवाहक सहायक अभियंता था। इसलिए, अब प्रतिवादी-बोर्ड के मुंह से यह कहना उचित नहीं है कि याचिकाकर्ता, वास्तव में, द्वितीय श्रेणी सेवा का पुष्ट या स्थायी सदस्य था। प्रतिवादी-अधिकारियों की ओर से यह उलट-फेर के.आर. ताहिलियानिया के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आलोक में आवश्यकता से प्रतीत होती है, जिसका उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है। वास्तव में, श्री के.पी. भंडारी द्वारा प्रस्तावित कानून का यह प्रस्ताव **जी.के. जैन बनाम हरियाणा राज्य**[3], और **लक्ष्मी चंद्र अग्रवाल बनाम हरियाणा राज्य**[4] में इस न्यायालय के दो बाद के निर्णयों द्वारा भी समर्थित है। तो, संभवतः इसी कठिनाई का सामना करते हुए यह समझा जाना चाहिए कि द्वितीय श्रेणी में पुष्टि कर दी गई है, सेवा उन्नत कर दी गई है जो याचिकाकर्ता का तर्क है।

(6) जहां तक धरम सिंह के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य की टिप्पणियों पर निर्भरता का सवाल है, वे पंजाब शैक्षिक, सेवा (प्रांतीय कैडर) वर्ग III नियम 1961, के नियम 6 क ` संदर्भ म ` बनाए गए हैं।
ईस नियम की पदावली विनियम के विनियम 12 से भौतिक रूप से भिन्न है। उपर्युक्त तर्क को आगे बढ़ाने में, विद्वान महाधिवक्ता ने इस विनियमन के उप-विनियम (2) की भाषा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि "परिवीक्षा की अवधि (मूल या विस्तारित) के पूरा होने पर, मामला कुछ भी हो, बोर्ड ऐसे सदस्य की नियुक्ति में पुष्टि कर सकता है या यदि उसका कार्य और/या आचरण, बोर्ड की राय में, संतोषजनक नहीं रहा है या वह लेखा परीक्षा और सुरक्षा कोड परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम नहीं है, तो बोर्ड उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है यदि उसे

[3] 1980(2) एसएलआर 29.

[4] 1980(3) एसएलआर 714।

सीधे भर्ती किया गया था या उसे उसके पूर्व पद या विभाग में वापस कर दिया जाए, जैसा भी मामला हो, यदि अन्यथा भर्ती किया गया हो, बशर्ते कि बोर्ड किसी भी सदस्य को उक्त परीक्षा में पूर्ण या उसके किसी भाग को उत्तीर्ण करने से छूट दे सकता है। यह उप-नियम यह स्पष्ट करता है कि उप-विनियम (1) के परंतुक द्वारा निर्धारित चार साल की अवधि पूरी होने के बाद भी, किसी कर्मचारी को कुछ स्थितियों में पुष्टि नहीं की जा सकती है, यानी, यदि वह खातों की परीक्षा या सुरक्षा कोड परीक्षा, आदि को पारित करने में विफल रहा है। यह विनियमन स्पष्ट रूप से परंतुक की भाषा की कठोरता को हटा देता है और वही एकमात्र निर्देशिका प्रस्तुत करता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि जब वह सेवानिवृत्त हुआ, तब तक उसने लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी -आक्षेपित आदेश के अनुसार। इस प्रकार, विद्वान महाधिवक्ता की उपर्युक्त दलील पूरी तरह से गलत आधार पर आधारित है। **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[5] में, पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 के नियम 7(1) के निहितार्थों की जांच करते समय, नियम 5 की व्याख्या के आलोक में, जो मेरे विचार से कुछ हद तक उप-विनियमन (2) या विनियम 12 के समान है, धरम सिंह के मामले (सुप्रा) में टिप्पणियों के संदर्भ में उनके आधिपत्य ने बताया कि "तीन साल के लिए परिवीक्षा की अधिकतम अवधि के संबंध में प्रावधान निर्देशिका हैं, इसके विपरीत धरम सिंह का मामला (सुप्रा) और वास्तव में, एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पुष्टि तब तक नहीं की जाती जब तक कि पुष्टि का आदेश नहीं दिया जाता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, मौजूदा मामले में विनियम 12 के उप-विनियम (2) सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह किसी सदस्य को उसके उत्तीर्ण होने तक चार साल की अपेक्षित परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बावजूद द्वितीय श्रेणी सेवा की पुष्टि नहीं कर सके लेखा परीक्षा या सुरक्षा कोड परीक्षा

पास होने तक। इसके अलावा, उप-विनियमन (1) के खंड (बी) में आगे कहा गया है कि कोई भी सदस्य जो किसी नियुक्ति में स्थानापन्न है, सेवा में एक या दो साल पूरा होने पर, जैसा भी मामला हो, तब तक पुष्टि का हकदार नहीं होगा जब तक उन्हें एक स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त

[5] एआईआर 1974 एस.सी. 2192।

ना किया गया हो। मेरे लिए, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस संदर्भ में पढ़ने पर, परिवीक्षा अवधि की बाहरी सीमा चार साल निर्धारित करने वाले उप-नियम (1) के परंतुक की भाषा केवल निर्देशिका है और इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। इन सबसे ऊपर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री भंडारी ने बोर्ड द्वारा 28 जनवरी 1977 (अनुलग्नक पी-10) के सरकारी निर्देशों को अपनाने की बात मेरे ध्यान में लाई है जिसके तहत परिवीक्षा की वैधानिक अवधि की समाप्ति के साथ स्वचालित पुष्टि के संबंध में राज्य सरकार की नीति को संशोधित किया गया था। इन निर्देशों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में यह निर्धारित किया गया था कि "यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध है, तो भी स्थायीकरण नहीं माना जा सकता है और इस आशय का एक विशिष्ट आदेश पारित करना होगा। 15 दिसंबर, 1971 के निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित माना जाना चाहिए।" जाहिर तौर पर अब बोर्ड को इन निर्देशों के विपरीत कोई रुख अपनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जैसा कि पहले ही बताया गया है; याचिकाकर्ता की द्वितीय श्रेणी में पुष्टि का कोई आदेश बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर पारित नहीं किया गया था और यह स्पष्ट रूप से उसे द्वितीय श्रेणी का स्थायी सदस्य नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, यह याचिका केवल इसी आधार पर सफल होने योग्य है।

(7) जहां तक आक्षेपित आदेश को दी गई दूसरी चुनौती का संबंध है, याचिकाकर्ता अभी भी मजबूत स्थिति में प्रतीत होता है। नियमों के नोट 8 से नियम 3.26 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "(i) एक सरकारी कर्मचारी खंड (डी) के तहत उसे दिए गए नोटिस के बदले वेतन और भत्ते के भुगतान पर तुरंत सेवानिवृत्त हो जाएगा। वह ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन का हकदार होगा और पेंशन को तीन महीने की अवधि की समाप्ति तक स्थगित नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसे वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, नोटिस अवधि के बदले में भुगतान किया गया वेतन और भत्ते उक्त अवधि के लिए पेंशन के अतिरिक्त होंगे, (ii) नोटिस अवधि के बदले में वेतन और भत्ते का भुगतान सेवानिवृत्ति के आदेश के साथ-साथ किया जाएगा।

जैसा कि आक्षेपित आदेश से ही संकेत मिलता है, उसी के पारित होने के समय, रुपये की राशि का चेक ₹4,989 को याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति को तुरंत प्रभावी बनाने के लिए तीन महीने के नोटिस के बदले भेजा गया था। यह निर्विवाद स्थिति है कि इस आदेश के पारित होने की तिथि

पर याचिकाकर्ता को वेतन और भत्ते के रूप में ₹1,823 मिल रहे थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति को प्रभावी बनाने के लिए तीन महीने के वेतन और भत्ते के रूप में भेजी जाने वाली कुल राशि ₹5,469 थी। हालाँकि, प्रतिवादी-बोर्ड की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि इन कुल परिलब्धियो ं म ें से, याचिकाकर्ता को ₹160 प्रति महीने परियोजना भत्ते के रूप में और 40 प्रति महीने विशेष भत्ते के रूप में रुपये मिल रहे थे। ये भत्ते तभी देय होते हैं जब पद पर आसीन व्यक्ति वास्तव में उन कर्तव्यों या कार्यों को करता है जिनके लिए ये भत्ते देय हैं, अन्यथा नहीं। बोर्ड के विद्वान वकील श्री हरभगवान सिंह के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता नियमों के नियम 3.26 द्वारा परिकल्पित नोटिस अवधि के दौरान इन कार्यों को न तो निष्पादित कर रहा था और न ही करने वाला था, इसलिए याचिकाकर्ता इसका हकदार नहीं था और इसलिए, बोर्ड द्वारा विवादित आदेश अनुलग्नक पी-9 के पारित होने के समय उस राशि को न भेजना या निविदा न देना उचित था। मेरे लिए, पूरा तर्क भ्रामक प्रतीत होता है। यदि याचिकाकर्ता को बोर्ड के लिए काम किए बिना नोट 8 से नियम 3.26 के संदर्भ में अपने वेतन और अन्य भत्ते (ऊपर उल्लिखित दो भत्ते घटाकर) का भुगतान करना आवश्यक था, तो बोर्ड संभवतः इन दो भत्तों का भुगतान कैसे रोक सकता है तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को कोई भी कार्य नहीं करना था जिसके लिए ये दोनों भत्ते देय थे। इसके अलावा, मुझे लगता है कि खंड (ii) से लेकर नोट 8 तक की भाषा भत्ते और भत्ता के बीच कोई अंतर नहीं करती है। इस नोट का स्पष्ट निहितार्थ यह है कि यदि नियोक्ता अनिवार्य सेवानिवृत्ति को तुरंत प्रभावी बनाना चाहता है, तो उसे तीन महीने का वेतन और भत्ते, जो भी उस आदेश के पारित होने की तारीख पर पदधारी को मिल रहा था, साथ ही देना होगा। जाहिर तौर पर मौजूदा मामले में ऐसा नहीं किया गया है।

(8) श्री हरभगवान सिंह ने आगे यह तर्क देना चुना कि नोट 8 का पर्याप्त अनुपालन है और प्रतिवादी-बोर्ड याचिकाकर्ता को दी जाने वाली राशि की जो भी कमी है, उसका भुगतान करने को तैयार है। सबसे पहले, यह लिखित बयान में बोर्ड का रुख नहीं है और न ही इस मामले की वकालत की गई है और दूसरी बात, यह प्रस्ताव किसी भी तरह से उस स्थिति का समाधान नहीं करता है जिसमें बोर्ड नोट 8 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहा है। इस नोट के खंड (ii) के संदर्भ में पूर्ण निविदा के अभाव में, आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-19 कभी प्रभावी नहीं हुआ और याचिकाकर्ता को 30 दिसंबर, 1982 से सेवानिवृत्त नहीं माना जा सकता है। इस निष्कर्ष के लिए, मैं **वरिष्ठ अधीक्षक, आर.एम.एस. कोचीन और अन्य बनाम के.वी. गोपीनाथ, सॉर्टर**[6] मामले में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणी से समर्थन चाहता हूं: -

> "नियम 5 का प्रावधान एकमात्र व्याख्या में सक्षम है कि समाप्ति के आदेश को बरकरार रखा जा सकता है यदि नियम के संदर्भ में अपेक्षित राशि कर्मचारी के हाथों में भुगतान की गई थी या उसे आदेश के साथ उसी समय उपलब्ध कराई गई थी। इससे यह व्याख्या नहीं होती कि सरकारी कर्मचारी पर आदेश तामील होते ही सेवा समाप्ति प्रभावी हो जाती है। परंतुक के ऑपरेटिव शब्द हैं "ऐसे किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं भुगतान करके तुरंत समाप्त की जा सकती हैं"। इसलिए, प्रभावी होने के लिए, सेवा की समाप्ति के साथ-साथ कर्मचारी को उसके देय राशि का भुगतान भी करना होगा।"

इस निर्णय में उल्लिखित नियम 5 का प्रासंगिक भाग फिर से कुछ हद तक नियमों के नोट 8 के खंड (ii) से नियम 3.26 के वाक्यांश के समान है। निम्नलिखित निर्णय भी समान सिद्धांत बताते हैं: -

[6] एआईआर 1972 एस.सी. 1487।

(9) **राज कुमार बनाम भारत संघ और अन्य[7]; कृष्ण कमल घोष बनाम भारतीय संघ और अन्य[8] और जमशेद न्यूरोजी सरकार बनाम जोनल मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम और अन्य[9]।**

(10) आदेश अनुलग्नक पी-9 को चुनौती देने में श्री भंडारी का एक और तर्क यह है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं लेने के समय, जो पंजाब राज्य बिजली बोर्ड और बाद में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के गठन से पहले सरकारी सेवा में था उन्हें पत्र अनुबंध पी-3 के माध्यम से आश्वासन दिया गया था कि उनकी सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और अब उस आश्वासन का उल्लंघन किया गया है। हालाँकि, मेरे उपर्युक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए मुझे मामले के इस पहलू में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

(11) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, ये याचिकाएं सफल हो जाती हैं और विवादित आदेश उन लागतों के साथ रद्द कर दिए जाते हैं जिनका मैं आकलन प्रत्येक मामले में ₹300 करता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।

---

[7] एआईआर 1975 एस. सी. 536।
[8] 1980(1) एसएचआर 531।
[9] 1978(1) एसएलआर 471.

एम. के. पुरी बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (आई. एस. तिवाना, जे.)